

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020 (PHALGUNA 6, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th February, 2020

No. 05-HLA of 2020/16/3554.— The Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 05- HLA of 2020

THE HARYANA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2020.
- 2. In section 2 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (hereinafter called the principal Act),-
 - (i) before clause (a), the following clause shall be inserted, namely:'(i-a) "ad hoc buyer" means a buyer registered under this Act;';
 - (ii) in clause (a), after the words "forest produce", the words and signs ", livestock, fisheries," shall be added;
 - (iii) for clause (aa), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(aa) 'assaying lab' means a laboratory set up on such parameters as prescribed by the State Government for testing the quality of agricultural produce;'
 - (iv) for clause (ga), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - '(ga) "e-trading" means trading of agricultural produce in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, tendering, information exchanging, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network/ internet;

Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 23 of 1961.

- (gb) "e-trading platform" means electronic platform set up either by State Government or its agencies or a person licensed under this Act for conducting sale or purchase of agricultural produce through electronic media or by any means of communication in which registration, buying and selling, billing, booking, contracting auctioning, tendering, etc. are carried out online through computer network/ internet or any other such electronic device, where physical transaction takes place;";
- (v) for the existing explanation to clause (o), the following explanation shall be substituted, namely:-
 - "Explanation.- The term "producer" shall include tenant, agriculturalist, association of agriculturalists by whatever name called, registered under any law for the time being in force."
- (vi) clause (rc) shall be omitted;
- (vii) after clause (t), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(u) "user charges" means charges levied for the use of infrastructure or for services rendered by the Board or the Committee or by any other entity authorized by the State Government in this behalf; and
 - (v) "value addition" includes cleaning, processing, standardization, grading, packing or other such activities which enhance the value of agricultural produce.

Amendment of section 3 of Haryana Act 23 of 1961.

- 3. In section 3 of the principal Act,
 - in clause (a) of sub-section (1), after the word "Director", the signs and words "/Secretary of the Board" shall be added:
 - (ii) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(10) The State Government or any officer authorized by it in this behalf, the Deputy Commissioner, Sub-Divisional Officer (Civil), the Chairman, the Chief Administrator or Secretary of the Board or any other officer of the Board authorised in this behalf by the Board may call for any information or return relating to agricultural produce from a Committee or a godown-keeper or other functionaries including all licensees under this Act and shall have the power to inspect the records and accounts of a Committee and stock and accounts of any godown-keeper or other functionaries for that purpose."

Substitution of section 7 of Haryana Act 23 of 1961.

- 4. For section 7 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:-
 - "7. Declaration of market yards.- (1) For each notified market area, there shall be one principal market yard, one or more sub-market yards, one or more consumers' market, one or more special commodities market, one or more e-trading platform, one or more terminal market, one or more seasonal market yards, one or more special market yards, one or more producer and consumer market yards, one or more producer market yards and one or more private market yards, as may be necessary.
 - (2) The State Government may, by notification, declare any enclosure, building or locality in any notified market area to be principal market yard for the area and other enclosures, buildings or localities to be one or more sub-market yards, one or more consumers' market, one or more special commodity market, one or more e-trading platform, one or more terminal market, one or more seasonal market yards, one or more special market yards, one or more producer and consumer market yards, one or more producer market yards and one or more private market yards for the area.
 - (3) The State Government may declare any market established under sub-section (2) as market of national or international importance after considering such factors, as may be prescribed.
 - "7A. Establishment of seasonal market yard.- (1) The Chief Administrator of the Board may, for a particular crop or crops, notify any enclosure or building or locality in a notified market area to be a seasonal market yard which shall be established, maintained and operated by market committee concerned primarily in the harvesting season of that particular crop or crops, as the case may be.

- (2) The Market Committee concerned in the notified market yard have to establish a market therein and to provide such facilities for marketing of agricultural produce and for persons visiting it in connection with the purchase, sale, storage, weighing and processing of agricultural produce, as may be directed by the Chief Administrator of the Board, from time to time.
- 7B. Establishment of special market yard.- (1) In order to notify a special market yard under section 7, the State Government, apart from other things shall also consider such aspects as turnover, serving area and special infrastructural requirements of particular commodities to be marketed therein, as may be prescribed.
- (2) Such special market yards may be managed either directly by the Board or through public private partnership or through a co-operative or corporate body or Special Purpose Vehicle or individuals, as may be notified, from time to time and shall not be under the control of the Market Committee concerned.
- 7C. Development of infrastructure.- (1) The Board or a market committee with the permission of the Board shall create and develop the infrastructure at its own, in general, to facilitate the marketing of agricultural produce in the notified market area.
- (2) The Board or a market committee or a group of market committees with the permission of the Board, may create, promote, manage and maintain infrastructure for a market yard or for value addition such as cleaning, standardization, grading and post harvest handling of agricultural produce including cold storages, pre-cooling facilities and pack houses in notified market area through public private partnership.".
- 5. For section 8C of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:
 - establish the State cense and erms and section 8C in Haryana Act 23 of 1961.

Substitution of

- "8C. Establishment of e-trading platform.- (1) Any person who desires to establish a private market yard in any notified market area under section 7, shall apply to the State Government or any officer authorized by it along with requisite fee for grant of license and such authority shall grant the licence for such period, in such form, on such terms and conditions, as may be prescribed.
- (2) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the State Government or any officer authorized by it in this behalf, may grant permission to any person for setting up an e-trading platform for marketing of notified agricultural produce in the State on fulfilment of such terms and conditions and in such manner, as may be prescribed:

Provided that owner or service provider of e-trading platform shall neither be permitted for the sale or purchase of agricultural produce in the e-trading platform.

- (3) Save as provided in sub-sections (1) and (2), the State Government or its agencies may establish and run e-trading platform for trading in notified agricultural produce including livestock, in such manner, as may be prescribed.
- "8D. Establishment of private market yard.- (1) Subject to such terms and conditions and such fee, as may be prescribed, the State Government or any officer authorized by it in this behalf may grant a license for such period to a person to establish a private market yard for trading of any or all notified agricultural produce.
- (2) The owner of the private market yard, referred to in sub-section (1) shall neither be permitted himself for sale or purchase of agricultural produce in the private market yard so developed and managed by him nor any other person shall do so on his behalf, as the case may be.
- (3) Save as otherwise provided in this Act, the owner of the private market yard or its management committee, by whatever name called, referred to in sub-section (1) shall perform such functions and duties of the Market Committee, as may be prescribed and under the overall supervision of the State Government or any officer authorised by it in this behalf.
- (4) The private market yard licensee may register commission agents and other market functionaries to operate in the licensed private market yard.
- (5) Any dispute concerning private yards shall be referred to the State Government or any officer authorised by it in this behalf and the decision thereon shall be final.

- 8E. Direct marketing.- Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the State Government may grant permission to any person for purchase of such fruits and vegetables, notified as agricultural produce directly from producers outside or inside the principal market yard or sub-market yard or at any place specified in the notified market area, on fulfilment of such terms and conditions and in such manner, as may be prescribed.
- 8F. Establishment of producer-consumer market yard.- (1) A producer and consumer market yard may be set up with suitable infrastructure in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder by any person or a group of producers or the Market Committee, as the case may be, in any notified market area for retail sale, on fulfilment of such terms and conditions and in such manner, as may be prescribed.
- (2) Any person other than market committee and Board, who desires to establish private producer and consumer market yard in any notified market area under section 7, shall apply to the State Government or any officer authorized by it in this behalf along with requisite fee for grant of license and the such authority shall grant the licence for such period, in such form, on such terms and conditions, as may be prescribed.
- 8G. Establishment of producer market yard (Kisan Mandi).- (1) The producer market yard (Kisan Mandi) may be established outside the principal market yard or submarket yard in the notified market area. Such market yard may be set up with suitable infrastructure in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under by a group of producers in any notified market area for sale to whole sellers or institutional buyer or any other buyer, as may be prescribed.
- (2) Any person other than market committee and Board who desires to establish a private producer market yard (Kisan Mandi) in any notified market area under section 7, shall apply to the State Government or any officer authorized by it in this behalf along with requisite fee for grant of license and such authority shall grant the licence for such period, in such form, on such terms and conditions, as may be prescribed.
- 8H. Declaring warehouse/silos/cold storage or other such structure or place as market sub-yard.- Save as otherwise provided in this Act, the State Government may, by notification, declare warehouse/silos/cold storage or other such structure or place with such infrastructure and facilities, as may be prescribed to function as market sub-yard for the sale and purchase of perishable agricultural produce and agriculture produce purchased by Government agencies, based on minimum support price.

Explanation.- The expression 'place' under this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including pack house/cleaning grading unit etc but not including a processing unit/factory having a facility of such warehouse/ silos/ cold storage etc.

- (2) The owner of such warehouse/ cold storage, or other such structure or place, as the case may be, desirous of declaration of such place as market sub-yard under sub-section (1), shall apply to the State Government or any officer authorized by it, in such form and in such manner along with such fee and also for such period which shall not be less than three years, as may be prescribed.
- (3) The licensee of such warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place shall collect, on behalf of the Market Committee, fee on notified agricultural produce transacted at the declared market sub-yard, at the rate ad valorem, as notified by the State Government and the same shall be deposited by such licensee to the Marketing Development Fund maintained by the Board.
- (4) A warehouse/silos/cold storage registered with warehousing development and regulatory authority under the provisions of Warehousing (Development and Regulation), Act, 2007 (Central Act 37 of 2007) shall be a deemed market sub-yard for purpose of this section and the operator of such warehouse/silos/cold storage shall be a deemed licensee for the purpose of this Act.
- **6.** In section 9 of the principal Act, for the word "The", the words and sign "Save as otherwise specifically provided in any other provisions of this Act, the" shall be substituted.

Amendment of section 9 of Haryana Act 23 of 1961.

7. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"9A. Registration of ad hoc buyer.- Any person desirous of wholesale buying from any place in notified market area, on day to day basis for own consumption even without valid license granted under section 8, may register with the concerned Market Committee, in such form and in such manner, as may be prescribed:

Insertion of section 9A in Haryana Act 23 of 1961.

Amendment of

Haryana Act 23

section 23 of

of 1961.

Provided that-

- such buyer shall specify the place and day of purchase while making the registration or thereafter before such purchase;
- (b) such buyer shall be liable to pay fee at the rate, as may be prescribed:

Provided further that such wholesale purchases shall be made more than three times in a month across the State of Haryana.

- **8.** In section 23 of the principal Act,-
 - (i) existing section shall be re-numbered as sub-section (1);
 - (ii) after sub-section (1), so re-numbered, the following sub-section shall be added, namely:-
 - "(2) Subject to the presentation of such requisite documents, as may be prescribed, no fee shall be levied on the agricultural produce bought or sold in respect of which such fee has already been paid in the same or any other notified market area within the State of Haryana.
 - (3) Any licensee obtaining a license under section 10 for the State, wholly or partly but for more than one notified market area, may deposit fee and additional fee, if any, with the Board within seven days of transaction irrespective of the transactions carried out in different notified market areas.
 - (4) In the special market yard, private market yard, producer and consumer market yard, private e-trading platform and Producer Market Yard (Kissan Mandi), the user charges shall be levied in lieu of market fee, however, producer-seller shall be exempted from the user charges:

Provided that the State Government, in public interest may, from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charges.

- (5) The owner/management, as the case may be of the special market yard, private market yard, producer and consumer market yard, private e-trading platform and producer market yard (Kissan Mandi) shall be responsible for the collection and deposit of any additional fee or cess levied by the State Government from time to time, in the Marketing Development Fund.".
- 9. In section 26 of the principal Act.
 - (a) in clause (xvii), for the sign ":" existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
 - (b) after clause (xvii), the following clauses shall be added, namely:-
 - "(xviii) establishment of regulatory system and to create infrastructure for e-trading platform, e-marketing, direct marketing, e-trading, producer and consumer marketing and producer marketing;
 - (xix) providing infrastructure for grading, standardization and packaging of agricultural produce;
 - (xx) to create and promote an infrastructure on its own or through public private partnership for a market yard of a notified market area and value addition such as cleaning, ripening standardization, grading, packaging and post harvest handling of agricultural produce;
 - (xxi) construction, repair, maintenance of link roads and passages to market yard.";
 - (c) existing proviso shall be omitted.
- 10. After section 27 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"27A. Contribution to Board.- The special market yard, private market yard, producer and consumer market yard, private e-trading platform and producer market yard (Kissan Mandi) licensee/operator shall contribute a part of the user charges at the prescribed rate to the Marketing Development Fund."

Amendment of section 26 of Harvana Act 23

Haryana Act 23 of 1961.

Insertion of section 27A in Haryana Act 23 of 1961. Amendment of section 28 of Haryana Act 23 of 1961.

- 11. In section 28 of the principal Act,-
 - (i) in clause (xvii), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and
 - (ii) after clause (xvii), the following clauses shall be added, namely:-
 - "(xviii) to establish regulatory system and to create infrastructure for e-trading platform, e-marketing, direct marketing, e-trading, producer and consumer marketing and producer marketing;
 - (xix) to provide infrastructure for cleaning, grading, standardization and packaging of agricultural produce;
 - (xx) to create and promote an infrastructure on its own or through public private partnership for a market yard of a notified market area and value addition such as cleaning, standardization, grading, packaging and post harvest handling of agricultural produce."

Amendment of section 43 of Haryana Act 23 of 1961.

12. In sub-section (2) of section 43 of the principal Act,-

- (i) in clause (xxxiv), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and
- (ii) after clause (xxxiv), the following clauses shall be added, namely:-
 - "(xxxv)to acquire, hold, sell, lease or otherwise transfer movable and immovable property;
 - (xxxvi) for all other activities related to creation of market infrastructure, regulatory mechanism and specialized management of a particular market yard;
 - (xxxvii) for any other matter which is required to fulfil the purposes and objectives under this Act or the rules made thereunder;
 - (xxxviii) for granting the licenses to special market yard, private market yard, e-trading platform, direct marketing, producer and consumer market yard, producer market yard (Kissan Mandi) and establishing regulatory system, creating infrastructure, sharing of market fee or additional fee, if any, and user charges realized and any other activities related thereto;
 - (xxxix) for all other activities related to establish regulatory system and create infrastructure for the better marketing of agricultural produce;
 - (xl) for establishing of regulatory system and creating infrastructure for e-Kissan Mandi, e-marketing and e-trading;
 - (xli) for the manner for establishment , functioning and funds for market extension and training cell;
 - (xlii) for the grades and standards to be set up and certification, the establishment, finances and functioning for agricultural produce marketing;
 - (xliii) for the areas for development and procedure for public private partnership; and
 - (xliv) to define policy for construction, repair, maintenance of rural link roads and passages.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India has circulated the Model Agricultural Produce Markets Act titled "The State/UT Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2017" with the objective of catalyzing fair conduct and performance of the agriculture markets which is to the advantage of the farmers in particular and consumers in general. It also enthuses the private participation in the agriculture marketing sector by providing them a level playing field. These twin objectives would usher in greater investment and help create better agri-marketing infrastructure and help the farmers get remunerative prices for the produce.

The Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2020 has been drafted keeping in mind the aforementioned objectives. Hence, the bill introduces provisions relating to establishment of private market yards, declaring warehouses/cold stores as sub-market yards, special market yards, establishment of e-trading platforms, direct marketing of agriculture produce and single levy of market fees amongst many others. The bill also envisages regulatory mechanisms for the private markets and also prescribes levy of user charges.

The Government of India through the **e-National Agriculture Market** envisions creating a unified market place for the entire country. There are 585 markets connected on this platform nation-wide which includes 54 markets from the State of Haryana. The enabling provisions for connecting and trading on this platform have also been introduced through this bill.

It would be appropriate to summarize that the "Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2020" intends to create better options for the farmers to sell the agricultural produce at remunerative prices in the State of Haryana.

JAI PARKASH DALAL, Agriculture and Farmers Welfare Minister, Haryana.

Chandigarh: The 25th February, 2020.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 05-एच०एल०ए०

हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।
1961 का
हरियाणा
अधिनियम 23
की धारा 2 का
संशोधन।

- यह अधिनियम हिरयाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
- 2. हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (क) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— (i—क) ''तदर्थ क्रेता'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई क्रेता ;';
 - (ii) खण्ड (क) में, ''वन उपज'' शब्दों के बाद, '',पशुधन, मत्स्य क्षेत्र'' चिह्न तथा शब्द जोड़े जाएंगे ;
 - (iii) खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-(कक) ''जांच प्रयोगशाला" से अभिप्राय है, कृषि उपज की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसे मापदण्डों पर स्थापित कोई प्रयोगशाला ;'';
 - (iv) खण्ड (छक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— '(छक) ''ई—व्यापार'' से अभिप्राय है, कृषि उपज का व्यापार जिसमें पंजीकरण, नीलामी,

बिलिंग, बुकिंग, संविदा, निविदा, सूचना आदान—प्रदान, अभिलेखन तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप जो कम्पयूटर नैटवर्क / इंटरनेट पर इलेक्ट्रानिक रूप से किए जाते हैं ;;

- (छख) "ई—व्यापार प्लेटफार्म" से अभिप्राय है, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से या संचार के किसी अन्य साधन, जिसमें पंजीकरण, क्रय तथा विक्रय बिलिंग, बुकिंग, संविदा, नीलामी, निविदा, इत्यादि कम्पयूटर नैटवर्क/इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक यन्त्र, जहां भौतिक संव्यवहार होता है, के माध्यम से ऑन—लाईन की जाती है, के द्वारा कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के संचालन के लिए या तो राज्य सरकार या इसके अभिकरणों या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म ;;
- (v) खण्ड (ण) की विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

''उत्पादक'' शब्द में किराएदार, कृषक, तत्समय लागू किसी विधि के अधीन, किसी भी नाम से ज्ञात, कृषकों का संगम शामिल होगा ;';

- (vi) खण्ड (दग) का लोप कर दिया जाएगा;
- (vii) खण्ड (न) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :--
 - '(प) ''उपयोक्ता प्रभार'' से अभिप्राय है, बोर्ड या समिति या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य संस्था द्वारा अवसंरचना के उपयोग हेतु या दी गई सेवाओं के लिए उदगृहीत प्रभार ; तथा
 - (फ) ''मूल्य परिवर्धन'' में शामिल है, साफ–सफाई, प्रसंस्करण, मानकीकरण, ग्रडिंग, पैकिंग और अन्य ऐसे क्रियाकलाप, जो कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ाते हैं।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

- (i) ''उप—धारा (1) के खण्ड (क) में, ''निदेशक'' शब्द के बाद, ''/बोर्ड का सचिव'' चिह्न तथा शब्द जोड़े जाएंगे ;
- (ii) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(10) राज्य सरकार या इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक या सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम के अधीन सभी अनुज्ञप्तिधारियों सहित समिति या गोदाम—रक्षक या अन्य कृत्यकारियों से कृषि उपज के संबंध में कोई जानकारी या विवरण मांग सकता है और उस प्रयोजन के लिए उसे किसी समिति के अभिलेखों तथा लेखों के तथा किसी गोदाम—रक्षक या अन्य कृत्यकारियों के भण्डार तथा लेखों के निरीक्षण करने की शक्ति होगी।"।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
''7. मण्डी प्रांगणों की घोषणा.— (1) प्रत्येक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए एक मुख्य
मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उप—मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उपभोक्ता मण्डी, एक या अधिक
विशेष वस्तु मण्डी, एक या अधिक ई—व्यापार प्लेटफार्म, एक या अधिक टर्मिनल मण्डी, एक या
अधिक मौसमी मण्डी प्रांगण, एक या अधिक विशेष मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उत्पादक तथा
उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उत्पादक मण्डी प्रांगण तथा एक या अधिक प्राइवेट मण्डी
प्रांगण होंगे, जो आवश्यक हों।

4.

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 में धारा 7 का प्रतिस्थापन।

- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी घेरे, निर्माण या परिक्षेत्र को उस क्षेत्र के लिए मुख्य मण्डी प्रांगण तथा अन्य घेरों, निर्माणों या परिक्षेत्रों को उस क्षेत्र के लिए एक या अधिक उप—मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उपभोक्ता मण्डी, एक या अधिक विशेष वस्तु मण्डी, एक या अधिक ई—व्यापार प्लेटफार्म, एक या अधिक टर्मिनल मण्डी, एक या अधिक मौसमी मण्डी प्रांगण, एक या अधिक विशेष मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उत्पादक मण्डी प्रांगण तथा एक या अधिक प्राइवेट मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित कर सकती है।
- (3) राज्य सरकार उप—धारा (2) के अधीन स्थापित किसी मण्डी को, ऐसे कारणों, जो विहित किए जाएं, पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय महत्व की मण्डी के रूप में घोषित कर सकती है।

7क. मौसमी मण्डी प्रांगण की स्थापना.— (1) बोर्ड का मुख्य प्रशासक, विशेष फसल या फसलों के लिए, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी घेरे या निर्माण या परिक्षेत्र को मौसमी मण्डी प्रांगण के रूप में अधिसूचित कर सकता है जो मुख्यतः उस विशेष फसल या फसलों, जैसी भी स्थिति हो, की पैदावार के मौसम में सम्बद्ध मण्डी समिति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित तथा संचालित की जाएगी।

(2) अधिसूचित मण्डी प्रांगण में सम्बद्ध मण्डी समिति का उसमें कोई मण्डी स्थापित करना और कृषि उपज के विपणन हेतु और कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भण्डारण, तोल और प्रसंस्करण के सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसी बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा समय—समय पर निर्देशित की जाएं।

7ख. विशेष मण्डी प्रांगण की स्थापना.— (1) धारा 7 के अधीन किसी विशेष मण्डी प्रांगण को अधिसूचित करने के क्रम में, राज्य सरकार अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं जैसे आवर्त, सेवारत क्षेत्र और उसमें विपणन की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं की विशेष अवसंरचना अपेक्षाओं जो विहित की जाएं, पर भी विचार कर सकती है।

(2) ऐसे विशेष मण्डी प्रांगण या तो प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड द्वारा या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सहकारी या निगमित निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन या व्यक्तियों, जो समय—समय पर अधिसूचित किए जाएं, के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं और सम्बद्ध मण्डी समिति के नियन्त्रणाधीन नहीं होंगे।

7ग. अवसंरचना का विकास.— (1) बोर्ड की अनुमति से बोर्ड या कोई मण्डी समिति अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को सुकर बनाने के लिए सामान्यतः अपने आप अवसंरचना का सुजन तथा विकास करेगी।

- (2) बोर्ड की अनुमित से बोर्ड या कोई मण्डी सिमिति या मण्डी सिमितियों का कोई समूह, सार्वजिनक निजी भागीदारी के माध्यम से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में शीतागारों, पूर्व शीतलन सुविधाओं, पैक हाऊसों सिहत किसी मण्डी प्रांगण के लिए या मूल्य परिवर्धन जैसे साफ—सफाई मानकीकरण, ग्रेडिंग और कृषि उपज के अवशेषों के निपटान के लिए अवसंरचना का सृजन, उन्नयन, प्रबन्धन तथा रख—रखाव कर सकता है।"।
- 5. मूल अधिनियम की धारा ८१ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"8ग. ई—व्यापार प्लेटफार्म की स्थापना.— (1) कोई व्यक्ति जो धारा 7 के अधीन किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी प्राइवेट मण्डी प्रांगण की स्थापना करने का इच्छुक है, तो वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अपेक्षित फीस सहित राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्ररूप में, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, पर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करने पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में राज्य में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए ई—व्यापार प्लेटफार्म स्थापित करने हेत् किसी व्यक्ति को अनुमित प्रदान कर सकता है:

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 में धारा 8ग का प्रतिस्थापन। परन्तु ई—व्यापार प्लेटफार्म का स्वामी या सेवा प्रदान करने वाला ई—व्यापार प्लेटफार्म में न तो कृषि उपज के विक्रय के लिए और न ही क्रय के लिए अनुमत होगा।

(3) उप—धारा (1) तथा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार या इसके अभिकरण अधिसूचित कृषि उपज में पशुधन सहित, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में राज्य में व्यापार के लिए ई—व्यापार प्लेटफार्म की स्थापना कर सकते हैं और चला सकते हैं।

8घ. प्राईवेट मण्डी प्रांगण की स्थापना.— (1) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए किसी या सभी अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के लिए कोई प्राइवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

- (2) उप—धारा (1) में निर्दिष्ट प्राइवेट मण्डी प्रांगण का स्वामी उस द्वारा इस प्रकार विकसित और संचालित प्राइवेट मण्डी प्रांगण में कृषि उपज विकय या क्रय के लिए न तो स्वयं को अनुमत करेगा और न ही उसकी ओर से ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को अनुमत होगी।
- (3) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, उप—धारा (1) में निर्दिष्ट प्राइवेट मण्डी प्रांगण या इसकी प्रबन्धन समिति किसी भी नाम से ज्ञात हो, राज्य सरकार या इस निमित्त या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन मण्डी समिति के ऐसे कृत्यों तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी, जो विहित की जाए।
- (4) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त प्राईवेट मण्डी प्रांगण में संचालन के लिए कमीशन एजेंट या अन्य मण्डी कृत्यकारियों को पंजीकृत कर सकता है।
- (5) प्राइवेट प्रांगणों से संबंधित कोई विवाद राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

8ङ. प्रत्यक्ष विपणन.— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार मुख्य मण्डी प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण के बाहर या भीतर या अधिसूचित मण्डी प्रांगण विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर उत्पादकों से सीधे रूप से यथा अधिसूचित कृषि उपज ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करने पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे फलों और सिब्जयों के क्रय के लिए किसी व्यक्ति को अनुमित प्रदान कर सकती है।

8च. उत्पादक—उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना.— (1) कोई उत्पादक और उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, इस अधिनियम और नियमों के अधीन बनाए गए उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करने पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में खुदरा विक्रय के लिए किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या उत्पादकों या मण्डी समिति के किसी समूह, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उपयुक्त अवसंरचना सहित स्थापित किया जा सकता है।

- (2) मण्डी समिति और बोर्ड से भिन्न कोई व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में प्राइवेट उत्पादक और उपभोक्ता मण्डी प्रांगण स्थापित करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अपेक्षित फीस सिहत राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी ऐसी अविध के लिए, ऐसे प्ररूप में, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों, जो विहित की जाए, पर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
- 8छ. उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) की स्थापना.— (1) उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में मुख्य मण्डी प्रांगण या उप—मण्डी प्रांगण के बाहर स्थापित कर सकता है। ऐसा मण्डी प्रांगण इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन थोक विकेताओं या संस्थागत केता या कोई अन्य केता, जो विहित किए जाएं, को बिकी के लिए किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र उत्पादकों के किसी समूह द्वारा उपयुक्त अवसंरचना सहित स्थापित कर सकता है
- (2) मण्डी समिति और बोर्ड से भिन्न कोई व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कोई प्राइवेट उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) स्थापित करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अपेक्षित फीस सहित राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्ररूप में, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों, जो विहित की जाए, पर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

8ज. भांडागार / भूमिगत कक्ष / शीतागार या मण्डी उप प्रांगण के रूप में ऐसी अन्य संरचना या स्थल की घोषणा करना.— (1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित विनश्वर कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय और सरकारी अभिकरणों द्वारा क्रय किए गए कृषि उत्पाद हेतु मण्डी उप प्रांगण के रूप में कार्य करने के लिए भांडागार / भूमिगत कक्ष / शीतागार या ऐसी अवसंरचना और सुविधाओं सहित, जो विहित की जाएं, अन्य ऐसी संरचना या स्थल घोषित कर सकती है।

- व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन 'स्थल' शब्द में पैक हाऊस/ साफ-सफाई ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, परिक्षेत्र, गली शामिल होगी, किन्तु इसमें ऐसे भांडागार/ भूमिगत कक्ष/ शीतागार इत्यादि की सुविधा रखने वाली कोई प्रसंस्करण यूनिट/ कारखाना शामिल नहीं होगा।
- (2) ऐसे भांडागार / शीतागार, या अन्य ऐसी संरचना या स्थल, जैसी भी स्थिति हो, का स्वामी उपधारा (1) के अधीन ऐसे स्थल की घोषणा उप प्रांगण के रूप में करने का इच्छुक है, तो राज्य सरकार या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से कम नहीं हो, के लिए आवेदन करेगा, जो विहित की जाएं।
- (3) ऐसे भांडागार / भूमिगत कक्ष / शीतागार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान का अनुज्ञप्तिधारी, मण्डी समिति की ओर से राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर घोषित मंडी उप—प्रांगण पर संव्यवहारित अधिसूचित कृषि उपज पर फीस संगृहीत करेगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी उसे बोर्ड द्वारा अनुरक्षित "मंडी विकास निधि" में जमा करवाया जाएगा।
- (4) भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के उपबन्धों के अधीन भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत किसी भाण्डागार / भूमिगत कक्ष / शीतागार को इस धारा के प्रयोजन के लिए मण्डी उप—प्रांगण समझा जाएगा और ऐसे भाण्डागार / भूमिगत कक्ष / शीतागार का संचालक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा।"।
- **6.** मूल अधिनियम की धारा 9 में, "मुख्य प्रशासक" शब्दों से पूर्व " इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में विशेष रूप से अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे ।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 9 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 9क का रखा जाना।

"9क. तदर्थ क्रेता का पंजीकरण.— धारा 8 के अधीन प्रदान की गई वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना अपने उपभोग के लिए दिन—प्रतिदिन के आधार पर, अधिूसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी स्थान से थोक क्रय का इच्छुक कोई व्यक्ति संबंधित मण्डी समिति में ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए पंजीकृत करवा सकता है:

परन्तु-

- (क) ऐसा क्रेता पंजीकरण करवाते समय या उसके बाद ऐसी खरीद से पहले स्थान तथा खरीद का दिन विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ख) ऐसा क्रेता दर, जो विहित की जाए पर फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगाः परन्तु यह और कि ऐसी थोक खरीददारी एक मास में तीन बार से अधिक सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में की जाएगी ।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 में,-

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का

- (i) विद्यमान धारा को उपधारा (1) के रूप में संख्याकित किया जाएगा;
- (ii) इस प्रकार पुनः संख्यािकत, उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(2) ऐसे अपेक्षित दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन, हिरयाणा राज्य के भीतर उसी या किसी अन्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई किसी कृषि उपज जिसके संबंध में ऐसी फीस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है पर कोई भी फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी।
 - (3) राज्य, पूर्णतः या भागतः किन्तु एक से अधिक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए धारा 10 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में किए गए संव्यवहारों को ध्यान में रखे बिना संव्यवहार के सात दिन के भीतर बोर्ड को फीस और अतिरिक्त फीस, यदि कोई हो, जमा करवा सकता है ।
 - (4) विशेष मण्डी प्रांगण, प्राईवेट मण्डी प्रांगण, उत्पादक तथा उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, प्राईवेट ई—व्यापार प्लेटफार्म और उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) में मण्डी फीस के बदले में उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे, तथापि उत्पादक विकेता उपयोक्ता प्रभारों से छूट प्राप्त होगाः

परन्तु राज्य सरकार, लोकहित में, समय—समय पर, अधिसूचना द्वारा उपयोक्ता प्रभारों के संग्रहण की दर पर अधिकतम सीमा लगा सकती है। (5) विशेष मण्डी प्रांगण, प्राईवेट मण्डी प्रांगण, उत्पादक तथा उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, ई—व्यापार प्लेटफार्म तथा उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) का स्वामी / प्रबन्धक, जैसी भी स्थिति हो, विपणण विकास निधि में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर, उद्गृहीत किसी अतिरिक्त फीस का संग्रहण करने तथा जमा करवाने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 26 का संशोधन ।

- 9. मूल अधिनियम की धारा 26 में,-
 - (क) खण्ड (xvii) में, अन्त में विद्यमान '':'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा
 - (ख) खण्ड (xvii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
 - ''(xviii) विनियामक प्रणाली की स्थापना तथा ई—व्यापार प्लेटफार्म, ई—विपणण, प्रत्यक्ष विपणण, ई—व्यापार उत्पादक तथा उपभोक्ता विपणण तथा उत्पादक विपणण के लिए अवसरंचना सुजित करना ।
 - (xix) कृषि उपज की ग्रेडिंग, मानकीकरण पैकेजिंग के लिए अवसरचना उपलब्ध करवाना;
 - (xx) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के मण्डी प्रांगण और मूल्य परिवर्धन जैसे साफ सफाई, पकवन, मानकीकरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कृषि उत्पाद के अवशेषों के निपटान के लिए अपने आप या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कोई अवसंरचना का सृजन करना और बढावा देना ।
 - (xxi) सम्पर्क सड़कों तथा मण्डी प्रांगण के लिए रास्तों का निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव ।''।
 - (ग) विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 में धारा 27 क का रखा जाना। 10. मूल अधिनियम की धारा 27 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"27 क बोर्ड को अंशदान.— विशेष मण्डी प्रांगण, प्राईवेट मण्डी प्रांगण, उत्पादक तथा उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, प्राईवेट ई—व्यापार प्लेटफार्म तथा उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) अनुज्ञप्तिधारी/संचालक विपणण विकास निधि में विहित दर पर उपयोक्ता प्रभारों के किसी भाग का अंशदान करेंगे ।"।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 28 का संशोधन ।

- 11. मूल अधिनियम की धारा 28 में,-
 - (i) खण्ड (xvii) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) खण्ड (xvii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोडे जाएंगे, अर्थात:-
 - "(xviii) ई—व्यापार प्लेटफार्म, ई—विपणण, प्रत्यक्ष विपणण, ई—व्यापार उत्पादक तथा उपभोक्ता विपणण तथा उत्पादक विपणण के लिए विनियामक प्रणाली स्थापित करना और अवसंरचना सुजित करना;
 - (xix) कृषि उपज की साफ सफाई, ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा पैकेजिंग के लिए अवसंरचना उपलब्ध करवाना;
 - (xx) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के मण्डी प्रांगण और मूल्य परिवर्धन जैसे साफ सफाई, पकवन, मानकीकरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कृषि उत्पाद के अवशेषों के निपटान के लिए अपने आप या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कोई अवसंरचना का सृजन करना और बढावा देना ।"।

1961 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 43 का संशोधन ।

- 12. मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) में,-
 - (i) खण्ड (xxxiv) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) खण्ड (xxxiv) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(xxxv) चल तथा अचल सम्पति को अर्जित करना, धारण करना, विक्रय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा अंतरण करना;
 - (xxxvi) किसी विशिष्ट मण्डी प्रांगण की मण्डी अवसरंचना, विनियामक, मैकेनिज्म तथा विशिष्ट प्रबंधन के सृजन से संबंधित सभी अन्य क्रियाकलापों के लिए;
 - (xxxvii) किसी अन्य मामले के लिए जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रयोजनों तथा उददेश्यों को पुरा करने के लिए अपेक्षित है;

- (xxxviii) विशेष मण्डी प्रांगण, प्राईवेट मण्डी प्रांगण, ई—व्यापार प्लेटफार्म, प्रत्यक्ष विपणन, उत्पादक तथा उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उत्पादक मण्डी प्रांगण (किसान मण्डी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तथा विनियामक प्रणाली की स्थापना, अवसंरचना का सृजन, मण्डी फीस अथवा अतिरिक्त फीस, यदि कोई हो, को बांटना तथा वसूल किए गए उपभोक्ता प्रभार तथा उससे संबंधित कोई अन्य कियाकलाप ।
 - (xxxix) कृषि उपज के बेहतर विपणन हेतु विनियामक प्रणाली स्थापित करने तथा अवसंरचना सृजित करने हेतु संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए;
 - (xl) ई-किसान मण्डी, ई-विपणण तथा ई-व्यापार के लिए विनियामक प्रणाली की स्थापना तथा अवसंरचना के सृजन के लिए;
 - (xli) मण्डी विस्तार तथा प्रशिक्षण सैल हेतु स्थापना, कार्यप्रणाली तथा निधि के लिए रीति हेतु;
 - (xlii) कृषि उपज विपणण के लिए स्थापित किए जाने वाले ग्रेड तथा मानकों तथा प्रमाणन, स्थापना, वित्तों तथा कार्यप्रणाली हेतु;
 - (xliii) विकास के लिए क्षेत्रों हेतु तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए प्रक्रिया; तथा
 - (xliv) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों तथा रास्तों के निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण के लिए पॉलिसी निर्धारित करने हेतु ।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार ने कृषि मण्डियों को स्वच्छ रूप से उत्प्रेरित करने तथा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आदर्श कृषि उपज मण्डी अधिनियम शीर्षक "राज्य/संघ क्षेत्र कृषि उपज और पशुधन विपणन (सर्वर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017" परिचालित किया है, जो विशेष रूप से किसानों और आमतौर पर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए है। यह कृषि विपणन क्षेत्र में उन्हें एक स्तर का खेल क्षेत्र प्रदान करके निजी भागीदारी को भी उत्साहित करता है। ये दोहरे उद्देश्य से अधिक निवेश में उपयोगी होंगें और बेहतर कृषि विपणन बुनियादी ढाँचा सृजित करने में मदद करेंगें और किसानों को उपज के लिए पारिश्रमिकता मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगें।

हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पूर्वोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए, विधेयक निजी मण्डी यार्डों की स्थापना, गोदामों / कोल्ड स्टोर को उप—मण्डी यार्ड, विशेष मण्डी यार्ड के रूप में घोषित करने, ई—व्यापार प्लेटफॉर्म की स्थापना, कृषि उपज का प्रत्यक्ष विपणन और बहुत से अन्य लोगों के बीच मण्डी शुल्क के एकल उद्ग्रहण (लेवी) की स्थापना से संबन्धित उपबन्ध प्रस्तुत करता है। यह विधेयक निजी मण्डी के लिए विनियामक तंत्र की भी परिकल्पना करता है और उपयोगकर्ता प्रभारों के उद्ग्रहण को भी विहित करता है।

ई—राष्ट्रीय कृषि मण्डी के माध्यम से भारत सरकार पूरे देश के लिए एक एकीकृत मण्डी स्थल का सृजन कर रही है। इस प्लेटफॉर्म से राष्ट्र स्तर की 585 मण्डियां जुड़ी हुई है, जिनमें हरियाणा राज्य की 54 मण्डियां शामिल है। इस प्लेटफॉर्म को जोड़ने और व्यापार करने के लिए समर्थ उपबन्ध भी इस विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए है।

संक्षेप में यह प्रस्तुत करना उचित होगा कि "हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020" का उद्देश्य हरियाणा राज्य में किसानों को कृषि उत्पादों को पारिश्रमिकता मूल्य पर बेचने के लिए बेहतर विकल्प सृजित करना है।

> जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 25 फरवरी. 2020. आर० के० नांदल, सचिव।

8700—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.